Polity

Supreme Court (उच्चतम / सर्वोच्च न्यायालय)

Art. 137 → पुर्नविलोकन का क्षेत्राधिकार [Review of jurisdiction]
↳ इसमें S. Court अपने ही Judgement (निर्णय) को परिवर्तित कर सकता है। Ex. ⇒ केसवारी वाद ⇒ 1960 केवल S-Court के पास यह शक्ति है
⇒ केशवानंद Vs केरल राज्य ⇒ 1973

⇒ न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) → USA से लिया गया है।
↳ इसमें Supreme / H. Court संसद / विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानूनों की संवैधानिकता की जांच करते है, और यदि कोई कानून संविधान के विरूद्ध होता है तो ऐसे कानून को रद्द घोषित करते है।

→ Art. 143 → परामर्शी क्षेत्राधिकार (Advisory jurisdiction)
⇓
इसमें S. Court राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन राष्ट्रपति S-Court के द्वारा दिये गये परामर्श को मानने के लिए बाध्य नही है।
↳ विधिक मामलों (Legal Matters) पर परामर्श देता है।

* उच्च न्यायालय *

[High - Court] ⇒ Part (भाग) - VI

⇒ Art. 214 - 232

→ भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में - कलकत्ता (कोलकाता)
→ मद्रास (चेन्नई)
→ बंबई (मुम्बई)
1862

⇒ 1866 → इलाहाबाद H. Court (प्रयागराज H. Court)

Art. 214 → 1 राज्य के लिए 1 H. Court की स्थापना की जा सकती है।

Art. 231 → 2 या 2 से अधिक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश का 1 H. Court हो सकता है।

Art. 241 → केंद्र / संघ शासित प्रदेश के लिए पृथक (Seprate) उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। (अलग)

⇒ 1966 → दिल्ली H. Court

⇒ भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति संसद को दी गयी है।

⇒ वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या ⇒ 25

⇒ 25 वां H. Court → अमरावती में स्थापित किया गया है, जिसने 1 Jan. 2019 से कार्य प्रारंभ किया

Art. 216 – उच्च न्यायालय का गठन (Composition of H. Court)

→ 1 मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश
(Chief justice) + (other judges)

→ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं (Not fixed) है। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा समय-समय पर इन्हें नियुक्त किया जाता है।

न्यायाधीशों की अर्हताएँ (Qualification of the Judges)

संविधान के अनु॰ 217 (2) भारत का नागरिक हो. भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो; एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

Article 217 (2) of the Constitution of India; must have held a judicial office within the territory of India for a period of at least ten years. must have been an advocate of one or more High Courts of a State for a period of at least ten Consecutive years.

Art 217 (1) ⇒ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

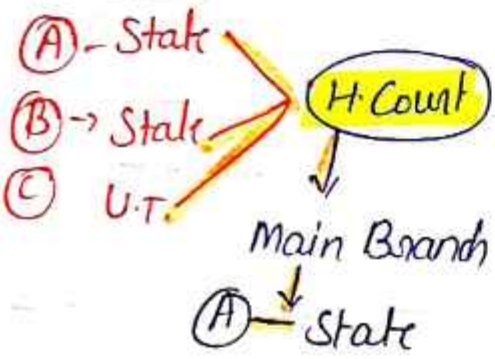
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा लेकिन S. Court के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद।

⇒ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा

↳ परामर्श (Consult) ⇒ ① S. Court के मुख्य न्यायाधीश

② H. Court के मुख्य न्यायाधीश

③ राज्य के राज्यपाल से



Consult (परामर्श) → लिखित

S- Court 2 वरिष्ठतम् न्यायाधीशों (2 most Senior Judges) से परामर्श

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
[Appointment of Acting Chief Judges]

राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन

करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है (अनु. 223)।

The president may appoint one of the other judges of the Court as Acting Chief Justice to discharge the functions of the Chief Justice (Art. 223).

Art. 223 – कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश → नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा

↳ कहां से नियुक्त? ⇒ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से नियुक्त होते हैं।

↳ कब नियुक्त? → जब मुख्य का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो

Art. 224 → अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Additional Judges)

→ केवल H. Court में नियुक्त

→ नियुक्ति कौन करता है? ⇒ राष्ट्रपति द्वारा

→ नियुक्ति क्यों की जाती है? ⇒ जब कभी किसी H. Court में, अचानक उसके कार्यों में

→ अस्थायी (Temporary) वृद्धि हो जाती है। तब राष्ट्रपति

rojgar with ankit

ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। जिसके पास H. Court का Judge बनने की योग्यता हो।

→ कार्यकाल (Tenure) → 2 वर्ष